डिस्कॉम से अभिज्ञात प्राप्यों के स्थान में जेन्को/ट्रांस्को को

रुपए में अल्पावधि ऋण (एसटीएल)

1 उद्देश्य और कार्य क्षेत्र

इस योजना के अंतर्गत ऐसे प्राइवेट सेक्टर उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों (जेन्को/ट्रांस्को) को वित्त सहायता उपलब्ध होगी, जिन्होंने बैंकों से कार्यशील पूंजी प्राप्त की है (चाहे कंर्सोशियम या बहु-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत) तथा डिस्कॉमों द्वारा उनकी विद्युत बिक्री/पारेषणों बिलों का भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप अस्थायी तरलता में कमी आने के कारण, बैंक जेन्को/ट्रांस्को की ऋण आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में न हो। ऐसी स्थिति में जेन्को/ट्रांस्कों के बकाया (अतिदेय सहित) विद्युत बिक्री/पारेषण अभिज्ञात अविवादित बिलों की एवज में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

2 ऋणकर्ता

यह योजना, प्राइवेट सेक्टर में नियोजित विद्युत उत्पादन एवं/या पारेषण के निम्नलिखित ऋणकर्ता/कंपनियों के लिए होगी :-

1 ऋणकर्ता, मौजूदा ऋणकर्ता हो - न्यूनतम अल्पावधि क्रेडिट रेटिंग - ए- 3

2 ऐसा ऋणकर्ता, जिसने अपनी किसी भी विद्युत परियोजना या अपने समूह कंपनी की विद्युत परियोजना के लिए वित्तपोषण हेतु पीएफसी के साथ ऋण दस्तावेज निष्पादित किए हों - न्यूनतम अल्पावधि क्रेडिट रेटिंग - ए- 2

3 ऋणकर्ता, जो कि उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आता हो - न्यूनतम अल्पावधि क्रेडिट रेटिंग - ए- 1

उपर्युक्त के लिए,

क) पीएफसी के ऋण को शामिल करने के उपरांत, ऋणकर्ता की रेटिंग पर विचार किया जाएगा।

ख) क्रेडिट रेटिंग मान्य होनी चाहिए तथा सेबी के साथ पंजीकृत घरेलू कंपनी द्वारा प्रदान की गई हो ।

ग) ऐसे ऋणकर्ता को मौजूदा ऋणकर्ता कहा जाएगा, जिसके दीर्घावधि ऋण (परियोजना ऋण) की धनराशि बकाया होगी ।

3 पात्रता मानदंड

क) ऊपर परिभाषित पात्र ऋणकर्ता ।

ख) पीएफसी नीति एवं विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार उपलब्ध ऋण सीमा ।

ग) अपने मौजूदा ऋणकर्ताओं अर्थात बैंक/एनबीएफसी/एफआई के साथ वर्तमान में कोई चूक न हो । **(** इस संबंध में जेन्को/ट्रांस्को के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है **)**

यह सुविधा पीएफसी की बहियों में एनपीए नहीं तथा जिसमें निम्न है, जेन्को से संबंधित विद्युत बिक्री/पारेषण बिल प्राप्य के लिए उपलब्ध होगी **:-**

क) सेबी के साथ पंजीकृत घरेलू कंपनी द्वारा प्रदान की गई मान्य अल्पावधि ए-2 या बेहतर क्रेडिट रेटिंग, या

ख) पीएफसी आंतरिक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार `बी` या बेहतर श्रेणी/गेड वाली डिस्कॉम।

ग) विगत 12 माह में प्राप्त प्रशुल्क आदेश ।

ऊपर विनिर्धारित रेटिंग से, ऋणकर्ता की क्रेडिट रेटिंग कम किए जाने के मामले में या ऋण अवधि के दौरान रेटिंग के समाप्त होने पर, इस आशय की सूचना ऋणकर्ता द्वारा 07 दिनों के अंदर पीएफसी को देनी आवश्यक होगी तथा इस तरह रेटिंग में कमी होने की तिथि/रेटिंग समाप्त होने की तिथि से नई स्वीकार्य रेटिंग/उन्नयन होने की तिथि तक की अवधि के लिए, 01 प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा ।

3 वित्तपोषण सीमा

इस योजना के अन्तर्गत, वित्तपोषण बकाया अभिज्ञात विद्युत बिक्री/पारेषण बिल(लों), प्रत्येक ऋणकर्ता (जेन्को/ट्रांस्को) के लिए अधिकतम 250 करोड़ रुपए सीमा की प्रत्याशा में

नीचे दी गई मान्य सीमा तक प्रतिबंधित होगा, जिसका विनियमन विवेकपूर्ण मानकों में दी गई जोखिम सीमा के अनुसार किया जाएगा। लागू सीमा निम्न प्रकार होगी :-

1) ऋणकर्ता, मौजूदा ऋणकर्ता हो - 75 प्रतिशत तक ।

2) ऐसा ऋणकर्ता, जिसने अपनी किसी भी विद्युत परियोजना या अपने समूह कंपनी की विद्युत परियोजना के लिए वित्तपोषण हेतु पीएफसी के साथ ऋण दस्तावेज निष्पादित किए हों - न्यूनतम अल्पावधि क्रेडिट रेटिंग - 60 प्रतिशत तक ।

3) ऋणकर्ता, जो कि उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आता हो - 50 प्रतिशत तक।

आगे, इस योजना के तहत कुल सहायता एवं एक वर्षीय रुपए एसटीएल योजना, एक वर्षीय रुपए एसटीएल योजना के तहत उपलब्ध वित्तपोषण की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी ।

5 तंत्र

क) संवितरण तंत्र

ऋणकर्ता (जेन्को/ट्रांस्को) के अभिज्ञात बकाया संबंधित डिस्कॉम द्वारा किया जाना है, विद्युत बिक्री/पारेषण बिल(लों), भुगतान की एवज में पीएफसी द्वारा वित्तपोषण किया जाएगा । प्रतिभूति एवं अन्य शर्तों को पूरा करने पर, धनराशि जेन्को/ट्रांस्को के टीआरए/एस्क्रो खाते में जारी की जाएगी, यदि लागू हो।

आगे, प्रत्येक संवितरण से पूर्व ऋणकर्ता द्वारा अभिज्ञात बकाया विद्युत बिक्री/पारेषण बिल(लों) तथा बैंक से प्राप्य कुल स्वीकृत कार्यशील पूंजी, जो उसके सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से समर्थित प्रमाण पत्र के आधार पर हो, का विवरण पीएफसी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

ऋण की धनराशि अधिकतम 05 (पांच किश्तों) में आहरित की जाएगी, अंतिम किश्त को छोड़कर, प्रत्येक किश्त न्यूनतम 10 करोड़ रुपए की होगी। प्रत्येक किश्त के लिए अदायगी कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

प्रत्येक संवितरण से पूर्व, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अविवादित बकाया प्राप्य (स्वीकृत कार्यशील पूंजी की सीमा से अधिक और ऊपर), पीएफसी के कुल संवितरण (पहले से संवितरित एवं प्रस्तावित संवितरण) सहित, स्वीकृति के समय उल्लिखित मार्जिन अर्थात् **25** प्रतिशत, **40** प्रतिशत, **50** प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।

ख) वसूली तंत्र

नियत तिथि(यों) को, ऋणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि डिस्कॉम(मों) द्वारा बिलों की धनराशि का भुगतान पीएफसी को किया जाता है और पीएफसी उक्त धनराशि को देय के विरूद्ध समायोजित करेगी तथा उसके ही उपरांत जेन्को/ट्रांस्को के टीआरए/एस्क्रो खाते में शेष धनराशि, यदि कोई हो, जारी की जाएगी। यदि कोई टीआरए/एस्क्रो खाता नहीं होगा तो, धनराशि ऋण करार में वर्णित बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। यदि डिस्कॉम, नियत तिथि में देय धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, तो ऋणकर्ता (जेन्को/ट्रांस्को) **07** दिनों के अंदर, पीएफसी को बिलंब अवधि के लिए ब्याज एवं अन्य प्रभार, यदि कोई हो सहित, का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

6 प्रतिभूति

इस योजना के अंतर्गत, पीएफसी द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के आधार पर वित्त सहायता प्रदान की जाएगी **:-**

क) अभिज्ञात प्राप्यों पर प्रथम प्रभार ।

ख) जेन्को/ट्रांस्कों की चालू परियोजना(ओ) की स्थायी परिसंपत्तियों पर द्वितीय प्रभार। जब तक स्थायी परिसंपत्तियों पर द्वितीय प्रभार नही हो जाता, यदि आवश्यक हो, तब तक वैकल्पिक प्रतिभूति पर विचार किया जाए (संपत्ति कवरेज के **1.25** अनुपात को बनाए रखा जाए **)** ।

ग) ऋणकर्ता (जेन्को/ट्रांस्कों) द्वारा डिस्कॉमों से विद्युत बिक्री/पारेषण देयों की प्राप्ति के संबंध में पीएफसी के पक्ष में जारी अपरिवर्तनीय जनरल पावर ऑफ अटार्नी ।

घ) संवितरित की जाने वाली प्रस्तावित मूल धनराशि एवं उस पर ऋण दस्तावेज निष्पादित करने की तिथि को लागू ब्याज की राशि के लिए पूर्व

दिनांकित चैक(पीडीसी) । (पीएफसी की संतुष्टि के अनुसार ऋण के सभी देयों की प्राप्ति होने के उपरांत ही संबंधित ऋणकर्ता को पीडीसी वापस कर दिए जाएंगे)

जमानत प्रतिभूति

1) कॉर्पोरेट/निजी गारंटी

पीएफसी द्वारा विनिर्धारित संपूर्ण प्रतिभूति प्राप्त करने के उपरांत ही, ऋण की प्रत्येक किश्त का संवितरण किया जाएगा ।

ऋणप्रदाता होने के फलस्वरूप, संगत प्रतिभूति पर पीएफसी के हित प्रभार को ध्यान में रखते हुए, जहां पीएफसी एक प्रमुख ऋणकर्ता है, इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति,पीएफसी के अनुमोदन के अनुसार होगी।

7 अदायगी अवधि

इस योजना के अंतर्गत, पीएफसी द्वारा जेन्को/ट्रांस्को(ऋणकर्ता) एवं डिस्कॉम(मों) के साथ परामर्श के अदायगी अवधि को प्रत्येक संवितरण की तिथि से अधिकतम **3(**तीन) माह के लिए अनुकूलित किया जाएगा।

पीएफसी द्वारा रोलओवर की तिथि तक बकाया ब्याज एवं अन्य प्रभार/देय एवं मौजूदा पात्रता शर्तों को पूरा करने की स्थिति में, अपने विवेकानुसार ऋण को आगे और **03(**तीन) माह के लिए रोलओवर करने पर विचार किया जा सकता है ।

8 आहरण वैधता अवधि

ऋणकर्ता को करार निष्पादन की तिथि से **60** दिन के अंदर संपूर्ण ऋण को आहरित करना होगा। उक्त अवधि के उपरांत आहरित नहीं की गई धनराशि रद्द मानी जाएगी। तथापि पीएफसी, जहां उपयुक्त समझे, उक्त समयावधि को आगे विस्तारित करने पर सहमत हो सकता है।

9 ब्याज दर एवं वित्त प्रभार

ब्याज दर एवं अन्य वित्त प्रभार समय-समय पर अधिसूचित/संशोधन के अनुसार होंगे। तथापि कोई भी पूर्वभुगतान प्रीमियम लागू नही होगा तथा आंशिक पूर्वभुगतान की अनुमति होगी ।

10 अन्य शर्तें

ऋणकर्ता (जेन्को/ट्रांस्को) को इस योजना के तहत वित्त सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध/आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा :-

क) बैंक/एनबीएफसी/एफआई आदि से पहले ही उपयोग की गई अल्पावधि क्रेडिट सुविधाएं (कार्यशील पूंजी ऋण, नकद क्रेडिट सीमा, ओडी सीमा आदि सहित) की प्रकृति, अवधि आदि का विवरण ।

ख) बैंक/एनबीएफसी/एफआई आदि द्वारा स्वीकृत अल्पावधि क्रेडिट सुविधाओं के विवरण के संबंध में एक शपथ पत्र **03** (तीन) दिवस के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

ग) एस्क्रो/टीआरए खाते का विवरण ।

घ) इस आशय का उल्लेख करने वाला शपथ पत्र कि पीएफसी द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले बिल अविवादित हैं ।

इसके अतिरिक्त, ऋणकर्ता को संवितरण शुरू होने से पूर्व निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :-

क) यदि कोई प्रमुख ऋणदाता एवं टीआरए एजेंट न हो तो, प्रमुख ऋणदाता @**mlds** ऋणदाता से सहमति पत्र/एनओसी ।

ख) संबंधित डिस्कॉम से इस आशय का सहमति पत्र/पावती कि पीएफसी द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे ऋणकर्ता (जेन्को/ट्रांस्को) के अभिज्ञात बिलों का भुगतान, प्रदान किए गए विवरणानुसार सीधे पीएफसी के बैंक खाते में किया जाएगा ।

11 सुधारात्मक कार्रवाइयां

प्राइवेट सेक्टर ऋणकर्ता, विधि यूनिट के परामर्श से स्वीकृति की निबंधन एवं शर्तों में वर्णित सुधारात्मक कार्रवाइयों तथा समय-समय पर लागू नीतियों के अधीन होंगे ।

****